26/7/19 [illegible] प्रार्थीगण [illegible] 23/8/19 को पेश हो।

23/8/19 प्र...वली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 20/9/19 को पेश हो।

20/9/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/10/19 को पेश हो।

11-10-19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता बहस हेतु वक्त चाहा। वक्त दिया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23-10-19 को पेश हो।

23/10/19 पत्रावली के अधिवक्ता ने बहस हेतु वक्त चाहा। दिया वक्त पत्रावली दिनांक 8/11/19 को पेश हो।

8/11/19 प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 17/12/19 को पेश हो।

17/12/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उप. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/1/20 को पेश हो।

3/1/20 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उप. पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदक साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विधि प्रमुख के लिखवाया जाकर था प. रही पत्रावली के नाम पुकार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/46/2018

1. भंवर सिंह पुत्र शिवकरण सिंह आयु 42 वर्ष
2. श्रवण सिंह पुत्र शिवकरण सिंह आयु 38 वर्ष
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण दूगोली तहसील धोद जिला–सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमा कंवर पत्नी खेत सिंह आयु 95 वर्ष
2. पूर्ण सिंह पुत्र खेत सिंह आयु 55 वर्ष
3. प्रभु सिंह पुत्र खेत सिंह आयु 58 वर्ष
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण दूगोली तहसील धोद जिला–सीकर।
4. स्टेट बैंक जयपुर एण्ड बीकानेर, शाखा सीकर जरिये मैनेजर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोद

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–
01. श्री भागीरथमल जाखड़, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री गौरीशंकर सैनी, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 03.01.2020

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम दूगोली तहसील धोद में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के कब्जे–काश्त की आराजी खसरा नं. 81 रकबा 5.97 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है एवं इसी मुताबिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अपने–अपने हिस्सों पर संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी अप्रार्थी सं. 1 उक्त अविभाजित आराजी का स्पेसिक भाग को बिना बंटवारा करवाये हस्तान्तरित करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपनी इस कुचेष्ठा में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सबल व सदृढ़ है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 81 रकबा 5.97 हेक्टेयर वाके ग्राम दूगोली तहसील धोद को विधिवत बंटवारा के बिना विक्रय करने तथा प्रार्थीगण के हिस्से में दखलअंदाजी करने से बाज रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2, 4 व 5 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

गौरीशंकर सैनी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा अपने–अपने हिस्से को बाहमी रूप से बंटवारा कर बिना किसी दखलअंदाजी के काश्त किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजी को हस्तान्तरित अथवा विक्रय करने की कोई मंशा नहीं है। यदि माननीय न्यायालय उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करता है तो जवाबदाता को कोई ऐतराज नहीं है।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराया। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073–76 ग्राम दूगोली के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 81 रकबा 5.97 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगणों का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा दर्ज है। बिना बंटवारा करवाये यदि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपनी महत्ती पारिवारिक आवश्यकता के लिए अपने हिस्से की भूमि का बेचान करते हैं तो इससे प्रार्थीगणों को कोई क्षति नहीं हो सकती है। जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार को उसके हिस्से का बेचान करने से रोकना बंटवारे के वाद में न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थीगणों ने अपने आवेदन में यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगणों के कब्जे–काश्त में दखलंदाजी कर रही है, लेकिन प्रार्थीगणों ने किसी भी स्वतंत्र गवाह या पड़ौसी खातेदार के बयान/शपथ–पत्र पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगणों के हिस्से की कब्जे–काश्त में दखलंदाजी कर रही है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थीगणों का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिससे सुविधा का संतुलन किसी एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थीगणों के पक्ष में यह बिन्दु भी साबित नहीं है।

(C) अपूरणीय क्षति– बिन्दु (A) में वर्णित विवरण के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा यदि अपने हिस्से की भूमि बेची जाती है तो इससे प्रार्थीगणों को कोई क्षतिकारित नहीं हो सकती है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगणों के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

अतः उपर्युक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगणों के पक्ष में साबित नहीं है, इसलिए प्रार्थीगणों का आवदेन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगणों का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 15:51:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: